

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्र. एफ 40(23)ग्रावि/नरेगा/बीएसआर संशोधन/2010

जयपुर, दिनांक:

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान (चुरु के अलावा)।

2 JUL 2010

विषय:- पौधारोपण संबंधी गतिविधियों के आईटम को विभागीय दर अनुसूची में सम्मिलित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत हरित राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत पौधारोपण एवं संबंधित गतिविधियों के कार्य भी करवाये जा रहे हैं। इस संबंध में क्षेत्र में प्रचलित वन विभाग की बीएसआर एवं संबंधित आईटमों को Analysis के आधार पर वृक्षारोपण संबंधी सभी आइटम मय रख-रखाव के आपके जिले की जिला दर अनुसूची में आवश्यक रूप से सम्मिलित करते हुए इस विभाग को सूचित करने का श्रम करें।

भवदीय,

(रामनिवास मेहता)

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/ प्रेषित है :-

1. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान (चुरु के अलावा)।
2. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस जिला परिषद समस्त राजस्थान (चुरु के अलावा)।

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस